झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

आदेश

का0आ0सं0–-56-.. राँची, दिनांक–28/03/17.................

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वाकांक्षी योजना "अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन (अमृत)" के अन्तर्गत "सुधार कार्यक्रम (Reform Agenda)" को निर्धारित मिशन अवधि में लागू किया जाना है। उपरोक्त सुधार कार्यक्रम में Web Based Online BPAMS (Building Plan Approval Management System) राँची नगर निगम में दिनांक–14.09.2015 से तथा राज्य के अन्य सभी नगर निकायों/प्राधिकारों में दिनांक–16.12.2016 से लागू किया गया है। इस प्रणाली में सभी कार्य Online Web Based संपादित किया जाता है जिसमें सभी एल0टी0पी0 (लाईसेन्स टेक्निकल पर्सन) यथा–वास्तुविद्, नगर निवेशक, अभियंता/ संरचना अभियंता, पर्यवेक्षक तथा ड्राफ्टमैन का निबंधन भी किया जाता है।

समय के साथ यह आवश्यक प्रतीत होता है कि Offline नक्शा स्वीकृति एवं अन्य संबंधित कार्य जो Online Web Based पद्धति के समानान्तर सम्पादित किए जा रहे हैं, उसे पूर्णतः बन्द किया जाए ताकि Web Based Online BPAMS को पूर्ण रूपेण पारदर्शी एवं User Friendly बनाकर लागू किया जा सके।

2098
28/03/17

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :

2.1 आदेश निर्गत की तिथि से राँची (राँची नगर निगम एवं राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार), धनबाद, चास, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, मानगो, जमशेदपुर अ0क्षे0स0, जुगसलाई नगरपालिका एवं आदित्यपुर नगर निगम में दिनांक–31.03.17 के उपरान्त नक्शा जमा (Submit) करने की प्रक्रिया पूर्णतः Web Based Online रहेगी तथा उनका निष्पादन भी पूर्ण रूपेण Online पद्धति–BPAMS के द्वारा सम्पादित किया जाएगा। Offline नक्शा जमा करने एवं संचिका का संधारण तथा समानान्तर परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

2.2 अन्य निकायों/प्राधिकारों में उपर्युक्त कंडिका–2.1 में वर्णित आदेश दिनांक–16.04.17 की तिथि से प्रभावी होगा।

2.3 वैसे नक्शे, जिनका आवेदन Offline प्राप्त किया गया है, उसे संबंधित एल0टी0पी0/आवेदक/आवेदिका को आदेश निर्गत की तिथि से नगर निकाय द्वारा एक सप्ताह के अन्दर लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वैसे आवेदन के संदर्भ में जब Web Based Online पुनः आवेदित किया जाएगा, तो पूर्व में जमा भवन शुल्क की राशि का संज्ञान लेते हुए, कुल भुगतेय भवन शुल्क राशि में घटाकर, भवन शुल्क राशि ली जायेगी।

2.4 पूर्व में, Web Based Online जमा आवेदन, जिसका Online के साथ–साथ समानान्तर Offline संचिका का संधारण करते हुए परिचालन पद्धति

से स्वीकृति प्रक्रिया अपनाकर निष्पादन किया जा रहा है, वह पूर्ण प्रतिबंधित होगा तथा कंडिका–2.1 के आदेश से आच्छादित होगा।

स्पष्ट किया जाता है कि मात्र Web Based Online BPAMS नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया द्वारा ही स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावी होगी।

27.3.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

SUDA/AMRUT/BPA-Arch Registration-54/2016.-2098

ज्ञापांक–.../राँची, दिनांक–28/03/17

2098
28/03/17

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सुडा/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/उपाध्यक्ष, आर0आर0डी0ए0/नगर आयुक्त, राँची, धनबाद, देवघर नगर निगम/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्/नगर पंचायत/नगरपालिका/अ0क्षे0स0 झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.17

सरकार के प्रधान सचिव।